न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 44/2022

सूरज सिंह रावत पुत्र श्री गणपत सिंह रावत जाति रावत, निवासी केसरपुरा वाया सराधना, जिला अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

2 थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रवर्तन अधिकारी अप्रार्थी
2. श्री खियासिंह रावत अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते छुडवाये जाने जब्तशुदा वाहन

–:आदेशः–

दिनांक 18.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी सूरज सिंह रावत पुत्र श्री गणपत सिंह रावत जाति रावत निवासी केसरपुरा वाया सराधना जिला अजमेर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते छुडवाये जाने जब्तशुदा वाहन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रकरण में जब्तशुदा वाहनो का मालिक व स्वामी है। प्रकरण में जब्तशुदा माल बेंस ऑयल है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नही आता है फिर भी पुलिस ने झूंठा प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के उक्त वाहन व माल को जब्त कर लिया है। प्रार्थी के पास जब्तशुदा बेसऑयल का बिल है इसके बावजूद भी पुलिस ने मनमानी कर उक्त वाहनो व माल को जब्त कर लिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त वाहन व माल में कार्यवाही करने का अधिकारी जिला रसद अधिकारी महादय को है परन्तु पुलिस ने रसद अधिकारी को कोई सूचना नही देकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 6 ए का इस्तगासा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का अधिकार सिर्फ रसद अधिकारी को है पुलिस को कोई अधिकार नही है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवहेलना की है इस आधार पर प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन व माल को छोडा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/वाहन

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

[illegible] को [illegible] सहयोग व मदद को [illegible] पर रिहा करने की [illegible] के सम्बन्ध।

[illegible] पर पेश किया। जरिये अभियोजन से टिप्पणी चाही गई। [illegible] पुलिस थाना मांगलियावास से टिप्पणी प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र [illegible] पर उभय पक्ष को सुना गया।

मुल्जिम अधिवक्ता एवं पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। पेशकार सरकार ने बहस करते बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण अजमेर सुमित मेहरडा आई.पी.एस के हमराही जाप्ता [illegible] पर जाप्ता में श्री सूरज सिंह [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह जाति रावत निवासी केसरपुरा का होना व दूसरे व्यक्ति को राजु चौधरी [illegible] निवासी [illegible] का होना बताया व एक व्यक्ति जो [illegible] के ट्रेलर नम्बर आरजे 42 जी ए 1965 में बायोडीजल भर रहा था तथा दो तीन अन्य व्यक्ति मौजूद थे जिस पर सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण अजमेर सुमित मेहरडा आई.पी.एस मय टीम के घेरा देकर दबिश दी जिस पर सभी लोग पुलिस जाप्ता को वर्दी देखकर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये जिस पर मौके पर मिले एक मैसी ट्रैक्टर बिना नम्बरी मेसी 1035 डी आइ आसमानी कलर की टेंकर के जिस पर खुशी वाटर सप्लायर्स अजमेर लिखा हुआ जिसके पीछे नोजल पम्प मय मापक यन्त्र नुमा लगा हुआ टेन्कर के अन्दर भरा हुआ तरल पदार्थ बायो डीजल से भरा होना पाया गया जिस पर चेक किया तो टेन्कर के अन्दर भरा तरल पदार्थ बायो डीजल भरा होना पाया । उक्त व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा षडयन्त्र पूर्वक पेट्रोलियम उत्पादो के ज्वलनशील पदार्थों का अनाधिकृत व बिना सक्षम अनुज्ञापत्र के भण्डारण व [illegible] किया जाकर आम जनता के साथ धोखाधडी करने का कृत्य अपराध धारा 3/7, 4/7 [illegible] ई.सी. एक्ट व 420, 285, 379/411, 120 बी आईपीसी की श्रेणी में आना पाया जाने पर टेंकर की क्षमता करीबन 5000 लीटर भरा मिला। ट्रेलर संख्या आरजे42 जी ए 6109 जिसमें बने नोजल को चैक किया तो एक से लेकर तीन नोजल खाली व चार व पांच में अन्दर भरा तरल पदार्थ बायोडीजल भरा होना पाया चार व पांच नम्बर के नोजलो में करीबन 9000 लीटर बायो डीजल भरा हुआ मिला व पास में खडी पिकअप आरजे01 जीबी 3002 जो बायो डीजल के परिवहन में उपयोग में लाई जाती है को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। व बायोडीजल भरने के लिये आये ट्रेलर आरजे 42 जी ए बतौर सबूत जब्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया एवं मौके पर राजू चौधरी [illegible] की गाडी नम्बर आर.जे. 01 यु.सी 4554 महेन्द्रा कम्पनी की व सूरज सिंह उर्फ [illegible] की गाडी आर.जे.01 सीई 2388 होण्डा गाडी मौके पर खडी होना पाई गई। उक्त मुल्जिमान के विरुद्ध धारा 420, 285,120 बी आईपीसी व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 दिनांक 08.08.2022 [illegible] पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर के न्यायालय श्रीमान् सीजेएम अजमेर में दिनांक 12.8.2022 को चालान पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन व बेसआयॅल को सुपुदर्गीनामा पर रिलिज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त वाहन एवं बेस ऑयल को जिला रसद कार्यालय के जांच दल द्वारा जब्त नही किया गया है, पुलिस विभाग द्वारा जप्त किया गया है । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण नही दर्ज कराया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में दिये गये प्रावधानो के तहत कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु(Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में प्रकरण प्रस्तुत नही होने से वाहन प्रार्थी का सुपुदर्गीनामा उक्त सुपुर्दगीनामें का प्रार्थना पत्र सुना जाना संभव नही हो सकेगा । अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर/पुलिस विभाग यदि प्रकरण धारा 6 ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत किया जाना आवश्यक समझते हो तो वे प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु स्वत्रंत है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.04.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर